

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं०. 21 /2021- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2021

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मगनेटी मरेल्ली मदरसन ऑटो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा)	कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.12.2020 23.12.2020 C.No. VIII(NCH)/Cus-Audit/PBA/B1/APR-13/2019/2299 के तहत	(i) आयुक्त, सीमाशुल्क, एसीसी आयत- I, न्यू कस्टम्स हाउस, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई (ii) आयुक्त, सीमाशुल्क (III), आयात, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई (iii) आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र (iv) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क एसीसी आयात, न्यू कस्टम्स हाउस, नियर IGI एयरपोर्ट, नई दिल्ली (v) आयुक्त, सीमाशुल्क आईसीडी- पतपड़गंज और अन्य आईसीडी, गाजीपुर, दिल्ली (vi) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी आयात, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र

[फा° सं° 437/1/2020- सीमाशुल्क IV]

(आज्ञा राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)